राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(13)राज-6/94/31 जयपुर, दिनांक:- 1-9-2000

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या-15 वर्ष 1956) की धारा 260 की धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 26.4.97 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 229 और 230 तथा राजस्थान भू-राजस्व (पेमेन्ट, क्रेडिट, रिकवरी एण्ड रिफण्डस) नियम, 1956 के अधीन जिला कलेक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर के नियमों के अन्तर्गत देय बकाया राशि की वसूली करने हेतु इन निगमों के सहायक अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

1/9/2000
(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबन्धक, विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
2. शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. शासन उप सचिव, ऊर्जा विभाग
6. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर।
8. निदेशक, हरिश चन्द्र माथुर, लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राज0 राजपत्र असाधारण अंक दिनांक 1.9.2000 में प्रकाशनार्थ।
11. "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर।
12. सर्व उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षण संस्थान टोंक।
14. विधि संहिताकरण विभाग।
15. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल अजमेर।
16. रक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी